Sl. No. 3

Annexure 'B'

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)।

क्रमांकः- प. 7(2)कार्मिक/क-2/96 जयपुर, दिनांक 31-5-2000

## परिपत्र-आदेश

विषयः- राज्य सरकार के अधीन की सेवाओं/पदों पर महिलाओं को आरक्षण।

राज्य सरकार के अधीन समस्त सेवाओं के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर महिलाओं को 30% आरक्षण देने का प्रावधान कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7(2)कार्मिक/क-2/88 दिनांक 07.6.99 द्वारा सम्मिलित किया गया था। महिलाओं के लिए विहित 30% आरक्षण की गणना के संबंध में इस विभाग को निम्न बिन्दु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्राप्त हुए हैं :-

(1) ऐसी महिलाएँ जो पुरुष अभ्यर्थियों के साथ स्वयं की योग्यता से वरियता सूची में चयनित होती है, के ऐसे चयन को महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्ति के प्रति चयनित माना जावे अथवा पुरुषों की रिक्तियों के प्रति चयनित माना जावे?

(2) ऐसी महिलाएँ जो स्वयं की योग्यता से नियमों में अनुज्ञात उन्हें देय रियायतों का उपभोग करते हुए पुरुष अभ्यर्थियों के साथ वरियता सूची में स्थान प्राप्त करती है, के चयन को महिलाओं के लिए आरक्षित पदों के चयन के रूप में माना जावे या पुरुष वर्ग की रिक्तियों के प्रति चयनित माना जावे?

उक्त बिन्दुओं का परीक्षण किया जाकर यह निर्णय लिया गया है कि महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्ति के प्रति जो महिलाएँ नियमों में अनुज्ञात उन्हें देय रियायतों का उपभोग करते हुए आवेदन करती हैं और उनका चयन पुरुष वर्ग की योग्यता सूची के अन्तिम चयनित व्यक्ति के ऊपर हो जाता है, तो ऐसी चयनित हुई महिला को महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्ति के प्रति चयनित हुआ माना जायेगा, किन्तु जो महिलाएँ नियमों में विहित उन्हें देय रियायतों यथा आयु, अवसर आदि का उपभोग किए बिना ही अन्तिम स्थान पर चयनित पुरुष के ऊपर योग्यता सूची में स्थान पाती हैं तो ऐसे चयन को पुरुष वर्ग की रिक्ति के प्रति चयनित माना जायेगा।

अतः समस्त नियुक्ति अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि इन निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

...licable for SC/ST/OBC category reservation

(शान्ती कुमार वर्मा)
उप, शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

Annexure-'A' (20)

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलैक्टर्स सहित)

क्रमांक प. 7(2)कार्मिक/क–2/96 पार्ट II　　　　जयपुर, दिनांक 7 सितम्बर,2007

परिपत्रादेश

विषयः– राज्य सरकार के अधीन की सेवाओं/पदों पर महिलाओं को आरक्षण के संबंध में।

राज्य सरकार के अधीन समस्त सेवाओं के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर महिलाओं को 30 प्रतिशत प्रवर्गानुसार आरक्षण देने का प्रावधान किया हुआ है, जिसके अनुसार यदि संबंधित प्रवर्ग में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो वह रिक्तियां आगे के वर्षों में अग्रेषित नहीं कर उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थी से भरी जायेगी। महिलाओं हेतु यह आरक्षण दण्डवत (Horizontal) है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राजेश कुमार बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा हरिओम बनाम राजस्थान लोक सेवा अयोग के प्रकरण में दिनांक 18 जुलाई, 2007 को निर्णय पारित किया। मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विधि विभाग से परामर्श कर परीक्षण किया गया। इस संबंध में इस विभाग के परिपत्र दिनांक 31.5.2000 के अतिक्रमण में यह स्पष्ट किया जाता है कि महिलाओं को दिया जाने वाला आरक्षण दण्डवत है। दण्डवत तथा लम्बवत (Vertical) में आरक्षणों की प्रकृति तथा गणना के तरीके भिन्न भिन्न हैं। दण्डवत आरक्षण की स्थिति में उस वर्ग के लिये निर्धारित समस्त सीटों के लिये मैरिट के आधार पर सूची तैयार की जानी चाहिये, उसमें जितनी महिला अभ्यर्थी मैरिट के आधार पर चयनित हुई हो उन्हें महिलाओं के लिये आरक्षित सीटों के प्रति गिना जाना चाहिये। इस प्रकार मैरिट के आधार पर तैयार सूची में महिलाओं की संख्या यदि उनके लिये आरक्षित सीटों से कम हों तो जितनी संख्या कम है उतने ही अभ्यर्थी मैरिट के आधार पर तैयार सूची में से सबसे नीचे से कम किये जाकर उनके स्थान पर उस वर्ग की शेष महिला अभ्यर्थियों में से मैरिट के आधार पर चयनित की जानी चाहिये।

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था करें।

(लोकनाथ सोनी)
शासन उप सचिव

# अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
पुराना पावर हाउस, हाथी भाटा, जयपुर रोड, अजमेर

आदेश–266

क्रमांक/अविविनिलि/मुलेअ/ वलेअ (नियम)प.–1(25)/प्रे. 99　　　　दिनांक 8-4-2008

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव (प्रशासन), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर.
2. कम्पनी सचिव, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर.
3. निजी सहायक, (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक),अजमेर विद्युत वितरण निगम लि,अजमेर/जयपुर.

(एस.एम.माथुर)
मुख्य लेखाधिकारी,
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर